बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–1 / अ0प्र0–1–36 / 2011 271 / पटना, दिनांक 22.4.25

ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों के बीच पूर्व में आवंटित कार्यों को संशोधित करते हुए विभिन्न प्रशाखाओं में आवंटित कार्य पदाधिकारियों द्वारा निम्न श्रृंखलानुसार निष्पादित किये जायेंगे:–

क्र0 सं0	प्रशाखा / आवंटित कार्य	कनीय प्रभार	अगले प्रक्रम के पदाधिकारी	अगले प्रक्रम के पदाधिकारी	अगले प्रक्रम के पदाधिकारी	अंतिम प्रक्रम के पदाधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रशाखा–01 / मुख्यालय स्थापना पदाधिकारियों से संबंधित कार्य	—	श्री उमंग, अवर सचिव	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
2	प्रशाखा–02 / अंचलों एवं प्रमंडलों के निगरानी संबंधित एवं अन्य कार्य	—	श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव	—	श्री अभय झा, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
3	प्रशाखा–03 / अंचलों एवं प्रमंडलों के निगरानी संबंधित एवं अन्य कार्य	—	श्री संजय कुमार, अवर सचिव	—	श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
4	प्रशाखा–04 / कनीय अभियंता के स्थापना एवं उससे संबंधित अन्य कार्य	—	श्री उमंग, अवर सचिव	—	अभियंता प्रमुख–सह– अपर आयुक्त–सह– विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
5	प्रशाखा–05 / सहायक अभियंता के स्थापना एवं उससे संबंधित अन्य कार्य	—	—	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
6	प्रशाखा–06 / कार्यपालक अभियंता एवं उससे उपर के अभियंता के स्थापना एवं अन्य कार्य	—	श्री उमंग, अवर सचिव	—	श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
7	प्रशाखा–07 / न्यायालय एवं सेवांत लाभ के मामले एवं अन्य कार्य	श्री संजय कुमार, अवर सचिव	श्री अशोक कुमार दूबे, तकनीकी परामर्शी (विधि)	डा0 फातेह फैयाज, महाप्रबंधक, ब्राडा	श्री अभय झा, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
8	प्रशाखा–08 / वर्ग–3 का क्षेत्रीय स्थापना एवं अन्य कार्य	—	श्री प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल', अवर सचिव	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव	श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
9	प्रशाखा–09 / बिहार विधान परिषद से सम्बन्धित मामले	श्री अभिषेक राज, सहायक योजना निदेशक	श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव	मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण	श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
10	प्रशाखा–10 / बिहार विधानसभा से सम्बन्धित मामले	श्री अभिषेक राज, सहायक योजना निदेशक	श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव	मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण	श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव

11	प्रशाखा–11 / वर्ग–4 का स्थापना / पथ हस्तानान्तरण एवं अन्य कार्य	—	श्री संजय कुमार, अवर सचिव	—	श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
12	प्रशाखा–12 / लेखा से संबंधित एवं अन्य कार्य	—	श्री प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल', अवर सचिव	—	श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
13	प्रशाखा–13 / बजट / आवंटन एवं अन्य कार्य	—	श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, विशेष सचिव	अपर मुख्य सचिव
14	प्रशाखा–14 / निबंधन / नवीकरण / कालीकरण एवं उससे संबंधित मामलें	—	श्री प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल', अवर सचिव	श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव	अभियंता प्रमुख	अपर मुख्य सचिव
15	प्रशाखा–15 / लोक सूचना का अधिकार एवं लोक शिकायत निवारण	—	श्रीमती मंजु सीमा तिग्गा, अवर सचिव	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव, (प्रथम अपीलीय प्राधिकार)	—	—

2. श्री उज्ज्वल कुमार सिंह (भा0प्र0से0), विशेष सचिव की अनुपस्थिति में श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहण करेंगे।
3. श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव की अनुपस्थिति में श्री संजय कुमार (भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहण करेंगे।
4. श्री संजय कुमार (भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव की अनुपस्थिति में श्री अभय झा (भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहण करेंगे।
5. श्री अभय झा (भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव की अनुपस्थिति में श्री उज्ज्वल कुमार सिंह (भा0प्र0से0), विशेष सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहण करेंगे।
6. श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अनुपस्थिति में श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहण करेंगे।
7. श्री निर्मल कुमार, अभियंता प्रमुख की अनुपस्थिति में श्री भगवत राम, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव उनके कार्यों का पूर्ण निर्वहण करेंगे।
8. श्री उज्ज्वल कुमार सिंह (भा0प्र0से0), विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य निगरानी पदाधिकारी होंगे।
9. विभागीय संकल्प सं0–6800 दिनांक–28.11.2023 द्वारा विभाजित कार्य क्षेत्र के अनुसार दोनों अभियंता प्रमुख अपने अधीन पड़ने वाले मुख्य अभियंता के क्षेत्रान्तर्गत सभी शीर्षों की सभी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन / निविदा निष्पादन / अनुश्रवण / गुणवत्ता सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करेंगे तथा इनके लिए जवाबदेह होंगे।
10. प्रशासनिक स्वीकृति के निमित अनुरक्षण एवं उन्नयन से संबंधित पूरे राज्य की सभी योजनाओं के चयन / प्रशासनिक स्वीकृति की संचिकायें अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को उपस्थापित की जायेंगी जबकि इससे इतर निर्माण से संबंधित सभी योजनाओं के चयन / प्रशासनिक स्वीकृति की संचिकायें एवं गुणवत्ता संबंधित संचिकायें अभियंता प्रमुख के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को उपस्थापित की जायेगी।
11. प्रशासनिक स्वीकृति / चयन से संबंधित संचिकायें नोडल पदाधिकारी योजनाओं की प्रकृति के अनुसार मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण / मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन के माध्यम से संबंधित अभियंता प्रमुख को उपस्थापित करेंगे।
12. श्री अभिषेक राज, सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग (मुख्यालय), पटना प्रतिनियुक्त ग्रामीण कार्य विभाग, योजना व्यय की निगरानी (Monitoring) के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
13. वर्ग–03 एवं वर्ग–04 के कर्मियों से संबंधित वैसे मामले, जो प्रशाखा–08 एवं प्रशाखा–11 से निष्पादित होंगे एवं जिसमें सक्षम प्राधिकार अभियंता प्रमुख होंगे, उन मामलों में पूर्ववत एवं नियमानुसार अभियंता प्रमुख के स्तर से ही अपेक्षित कार्रवाई होगी।

14. श्री संजय कुमार (भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव एवं श्री अभय झा (भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव क्रमशः उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के योजनाओं के अनुश्रवण के निमित क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

22/4/25

(कुमार अनिल सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः—1/अ0प्र0—1—36/2011 4482 /पटना, दिनांक 22-4-25

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सभी विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/मुख्य निगरानी पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावैधिक)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी/महाप्रबंधक, ब्राडा/सभी अवर सचिव/तकनीकी परामर्शी (विधि)/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/4/25

सरकार के संयुक्त सचिव